FORM No. 123

(Order 24 Rule 07/ Order 32 Rule 03)

न्यायालय – अपर जिला एवं सेशन न्यायाधीश संख्या–02, किशनगढ़, जिला अजमेर।

Date	Orders with initials of P.O. **सुरज्ञान देवी बनाम भागचंद जांगिड़** **दीवानी मूल वाद संख्या – 56/2021(24/2014)** **सीआईएस संख्या – 1538/2014**	Brief note of Compliance of Order
28.01.2025	वकुलाय उभय पक्षकारान उपस्थित। इस आदेश के द्वारा वादी की ओर से प्रस्तुत प्रार्थना पत्र अंतर्गत आदेश 7 नियम 14 सीपीसी दिनांकित 16.12.2024, प्रार्थना पत्र अंतर्गत धारा 65 ई व एफ साक्ष्य अधिनियम दिनांकित 16.12.2024, प्रतिवादी की द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र धारा 65 ई व एफ साक्ष्य अधिनियम दिनांकित 06.01.205 एवं प्रतिवादी संख्या 1 के द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र आदेश 8 नियम 1(3) सपठित धारा 151 सीपीसी का संयुक्त रूप से निस्तारण किया जा रहा है। उक्त प्रार्थना पत्रों बाबत उभय पक्षकारान की बहस सुनी गई। दौराने बहस अधिवक्ता वादी ने प्रार्थना पत्र के तथ्यों को दौहराते हुए कथन किए कि वादी द्वारा खसरा संख्या 31 व 32/1 ग्राम फरासिया, पटवार हल्का सांवतसर की जमाबंदी तहसीलदार किशनगढ़ सक्षम अधिकारी के हस्ताक्षरयुक्त दिनांक 12.12.2024 को प्राप्त हुई है। पत्रावली में पूर्व में कम्प्यूटर से प्राप्त प्रति को प्रदर्शित करवाने में प्रतिवादी अधिवक्ता द्वारा आपत्ति की गई है। अतः तहसीलदार के हस्ताक्षरयुक्त प्रमाणित प्रतियों को रिकोर्ड पर लेने का निवेदन किया। साथ ही धारा 65 ई व एफ के तहत उक्त दस्तावेज प्रमाणित प्रतियां होने से उन्हें द्वितीय साक्ष्य के रूप में प्रदर्शित करवाए जाने की अनुमति दिए जाने का निवेदन किया गया। उक्त प्रार्थना पत्र का प्रतिवादी की ओर से विरोध करते हुए प्रार्थना पत्र अत्यधिक विलंब से पेश करना जाहिर करते हुए प्रार्थना पत्र के अतिरिक्त कथनों में वर्णित दस्तावेज प्रमाणित प्रतिलिपि बक्शीशनामा दिनांक 26.03.1980, प्रमाणित प्रति पट्टा विलेख दिनांक 05.09.2022, प्रमाणित प्रति हक त्याग पत्र दिनांक 05.11.2009 को रिकोर्ड पर लेने का निवेदन किया गया तथा जरिये प्रार्थना पत्र धारा 65 ई व एफ साक्ष्य अधिनियम उक्त दस्तावेज उप–पंजीयक कार्यालय/ राजकीय कार्यालय से प्राप्त होने से उन्हें द्वितीय साक्ष्य के रूप में पेश कर प्रदर्शित करवाने का भी निवेदन किया गया। वादी की ओर से प्रतिवादी द्वारा प्रस्तुत उक्त दस्तावेजों को रिकोर्ड पर लिए जाने का विरोध करते हुए जवाब पेश किया गया व दौराने बहस यह कथन किया गया कि प्रतिवादी द्वारा उक्त दस्तावेजों को रिकोर्ड पर लिए जाने का पृथक से कोई प्रार्थना पत्र अंतर्गत आदेश 8 नियम 1(3) सीपीसी पेश नहीं किया गया है। अतः ऐसी स्थिति में प्रार्थना पत्र खारिज कर दस्तावेजों को 'डी' पार्ट में रखे जाने या उन्हें लौटाए जाने का निवेदन किया। चूंकि प्रतिवादी के द्वारा आदेश 8 नियम 1(3) सीपीसी के तहत दस्तावेज रिकोर्ड पर लेने का प्रार्थना पत्र पेश नहीं किया गया है तो ऐसी स्थिति में उक्त दस्तावेज को द्वितीय साक्ष्य के रूप में पेश कर प्रदर्शित करवाने की अनुमति नहीं दी जा सकती। अतः प्रार्थना पत्र 65 ई व एफ साक्ष्य अधिनियम खारिज किए जाने का निवेदन किया गया।	

	उभय पक्षकारान को सुना गया। पत्रावली एवं संबंधित विधि का ध्यानपूर्वक अवलोकन किया गया। पत्रावली के अवलोकन से यह प्रकट होता है कि वादी द्वारा जिन दस्तावेज जमाबंदी की प्रमाणित प्रति को रिकोर्ड पर लिए जाने का निवेदन जरिये प्रार्थना पत्र किया गया है उक्त जमाबंदी की कम्प्यूटर जनित प्रति पूर्व में पत्रावली में पेश है। प्रस्तुत दस्तावेज प्रमाणित प्रति है जो प्रकरण से संबंधित है। अतः ऐसी स्थिति में उक्त दस्तावेजों को रिकोर्ड पर लिया जाना न्यायालय को न्यायोचित प्रतीत होता है रंतु उक्त दस्तावेज अत्यधिक विलंब से पेश किए गए है। दिनांक 12.12.2024 से पूर्व उक्त दस्तावेजों की प्रमाणित प्रति वादी द्वारा क्यों नहीं प्राप्त की जा सकी इस संबंध में कोई स्पष्टीकरण प्रार्थना पत्र में अंकित नहीं किया गया है। अतः ऐसी स्थिति में विलंब की पूर्ति हेतु वादी पक्ष पर कोस्ट अधिरोपित किया जाना न्यायालय को न्यायोचित प्रतीत होता है। अतः वादी द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र आदेश 7 नियम 14 सीपीसी 500/– रूपये की कोस्ट पर स्वीकार किया जाकर प्रार्थना पत्र में वर्णित जमाबंदी दस्तावेज को रिकोर्ड पर लिए जाने का आदेश दिया जाता है। कोस्ट अदायगी दस्तावेज को रिकोर्ड पर लिए जाने की पूर्वभावी शर्त रहेगी। इसके अतिरिक्त वादी द्वारा उक्त् जमाबंदी को द्वितीयक साक्ष्य के रूप में प्रस्तुत करवाए जाने की अनुमति दिए जाने का निवेदन जरिये प्रार्थना पत्र किया गया है तो इस संबंध में उक्त दस्तावेज प्रमाणित प्रति है जो लोक दस्तावेज की प्रमाणित प्रति होने से धारा 65 साक्ष्य अधिनियम के तहत द्वितीयक साक्ष्य के रूप में ग्राह्य है। अतः ऐसी स्थिति में धारा 65 ई व एफ साक्ष्य अधिनियम के तहत साक्ष्य के रूप में ग्राह्य होने से प्रार्थना पत्र स्वीकार किया जाकर उक्त दस्तावेज जमाबंदी खसरा संख्या 31 व 32/1 की प्रमाणित प्रति को द्वितीयक साक्ष्य के रूप में साक्ष्य में पेश कर प्रदर्शित करवाने की अनुमति प्रदान की जाती है। प्रतिवादी संख्या 1 द्वारा वादी द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र आदेश 7 नियम 14 सपठित धारा 151 सीपीसी के जवाब के अतिरिक्त कथनों में दस्तावेज बक्शीशनामा, पट्टा विलेख व हक–त्याग विलेख की प्रमाणित प्रति को रिकोर्ड पर लिए जाने का निवेदन किया गया है परंतु उक्त दस्तावेज को रिकोर्ड पर लिए जाने हेतु प्रतिवादी की ओर से आदेश 8 नियम 1(3) सीपीसी के तहत पृथक से कोई प्रार्थना पत्र उक्त दस्तावेज की सुसंगतता एवं प्रकरण से संबंधता को दर्शाते हुए पेश नहीं किया गया है बल्कि वादी द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र के जवाब में उक्त दस्तावेज को रिकोर्ड पर लेना चाहा है। उक्त दस्तावेजों को किन विधिक प्रावधानों के तहत रिकोर्ड पर लिए जाने का निवेदन किया गया इसका अंकन उक्त प्रार्थना पत्र में नहीं किया गया है। अतः ऐसी स्थिति में उक्त दस्तावेजों को रिकोर्ड पर लेने का कोई विधिक प्रावधानों के तहत प्रार्थना पत्र पेश नहीं होने से जवाब में वर्णित दस्तावेजों को रिकोर्ड पर नहीं लिया जा सकता। प्रतिवादी इस संबंध में पृथक से प्रार्थना पत्र पेश करने के लिए स्वतंत्र है। जहाँ तक प्रतिवादी संख्या 1 के द्वारा धारा 65 ई व एफ साक्ष्य अधिनियम के तहत वादी के प्रार्थना पत्र के जवाब में वर्णित दस्तावेज बक्शीशनामा, पट्टा विलेख व हक–त्याग विलेख की प्रमाणित प्रतियों को द्वितीयक साक्ष्य के रूप में प्रदर्शित करवाने की अनुमति चाही गई है तो इस संबंध में प्रथमतः उक्त दस्तावेजों को रिकोर्ड पर लेने हेतु पृथक से कोई प्रार्थना पत्र पेश नहीं किया गया है। अतः ऐसी स्थिति में जब तक उक्त दस्तावेज को रिकोर्ड पर नहीं लिया जाता तब तक उनके साक्ष्य में ग्राह्यता के संबंध में आदेश पारित नहीं किया जा सकता। उक्त दस्तावेज के रिकोर्ड पर आने के पश्चात ही	

दस्तावेजों की साक्ष्य में ग्राह्यता के संबंध में विचार किया जा सकता है। अतः एतदद्वारा प्रार्थना पत्र निस्तारित किया जाता है।

जहाँ तक प्रतिवादी संख्या 1 द्वारा आदेश 8 नियम 1(3) सपठित धारा 151 सीपीसी दिनांक 13.01.2025 के द्वारा प्रार्थना पत्र में वर्णित दस्तावेज एफआर तथा न्यायालय की आदेशिका दिनांक 19.10.2024 को रिकोर्ड पर लिए जाने का निवेदन किया गया है तो इस संबंध में उभय पक्षकारान को सुना गया। दौराने बहस अधिवक्ता प्रतिवादी संख्या 1 ने वर्णित उक्त दस्तावेज प्रकरण से संबंधित होने एवं उक्त दस्तावेज प्रमाणित प्रति होने से उन्हें रिकोर्ड पर लिए जाने का निवेदन किया। जबकि वादी अधिवक्त ने उक्त प्रार्थना पत्र का विरोध करते हुए प्रार्थना पत्र अत्यधिक विलंब से पेश होने एवं प्रकरण में विलंब कारित करने के आशय से पेश होने से प्रार्थना पत्र का विरोध करते हुए खारिज किए जाने का निवेदन किया।

उभय पक्षकारान को सुना गया। पत्रावली एवं संबंधित विधि का ध्यानपूर्वक अवलोकन किया गया। प्रतिवादी संख्या 1 की ओर से जरिये प्रार्थना पत्र जिन दस्तावेज एफआर व न्यायालय की आदेशिका दिनांक 19.10.2024 की प्रमाणित प्रति को रिकोर्ड पर लिए जाने का निवेदन किया है उक्त दस्तावेज प्रमाणित प्रति है तथा प्रकरण के न्यायपूर्ण निस्तारण के लिए उक्त दस्तावेज को रिकोर्ड पर लिया जाना न्यायालय को न्यायोचित प्रतीत होता है। यद्यपि उक्त दस्तावेज 2 माह के विलंब से पेश किए गए है परंतु उक्त विलंब अत्यधिक विलंब होना प्रकट नहीं होता है। अतः ऐसी स्थिति में उक्त दस्तावेज चूंकि प्रकरण से संबंधित है अतः उन्हें रिकोर्ड पर लिया जाना न्यायोचित प्रतीत होने से प्रतिवादी संख्या 1 द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र को स्वीकार किया जाकर प्रार्थना पत्र में वर्णित दस्तावेज को रिकोर्ड पर लिए जाने के आदेश प्रदान किए जाते है। पत्रावली वास्ते साक्ष्य वादी दिनांक ... ... को पेश हो।

(शालिनी शर्मा)
अपर जिला एवं सेशन न्यायाधीश
संख्या–02, किशनगढ़, जिला अजमेर।